न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर प्रदेश

R-196-II/2012

(43)

प्र.क्र. 2012 निगरानी

चन्द्रभानसिंह पुत्र अमानसिंह आयु 35 वर्ष
जाति लोधी धंधा खेती निवासी ग्राम बम्मनखिरि
-या परगना मुगावली जिला अशोक नगर म.प्र.
----- निगरानीकर्ता

बनाम

1:-निरपत पुत्र लल्आ आयु 52 वर्ष जाति हरिजन
2:-कन्हैया पुत्र लल्आ आयु 48 वर्ष जाति हरिजन
निवासीगण बम्मनखिरिया परगना मुगावली
जिला अशोक नगर---------प्रतिनिगरानीकर्तागण

द्वारा आज दि. 31/1/12 ... Advocate
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आधीन धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरूद्ध अपर कलेक्टर महोदय जिला अशोक नगर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 21/10-11 में पारित आदेश दिनांक 29/12/11 में प्रदत्त के विरूद्ध निगरानी।

= =

माननीय महोदय,

सेवा में सादर निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार से प्रस्तुत है।

1:-यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोक नगर द्वारा पारित आदेश विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है।

2:-यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर अशोक नगर के न्यायालय में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी ए.. डी.ओ. न्यायालय मुंगावली में प्रचलित अपील प्रकरण क्रमांक 31/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29/11/10 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जिसमें तहसीलदार न्यायालय मुंगावली के व्यवस्थापन प्रकरण क्रमांक 33अ19/99-2000 में आदेश दिनांक 25/10/2000 के विरू. अपील प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत की गयी थी उक्त अपील को प्रतिनिगरानी-कर्तागण 9 वर्ष के विलम्ब से जानकारी रहते हुये बिना किसी आधार के प्रस्तुत की गयी थी जिसे अवधि अन्दर मान्य करने में एस.डी.ओ. मुंगावली द्वारा आदेश पारित करने में गम्भीर भूल की गयी है तथा अपर कलेक्टर महोदय अशोक नगर द्वारा उक्त आदेश को यथावत रखने में गम्भीर भूल की गयी है दोनो न्यायालय के आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है तथा

चन्द्रभान

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 196–दो/2012 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 एल0 धाकड़ उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 21 /2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29/12/11 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर	